न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 291 / 16

बउनवान

राजकुमारी पत्नी रविन्द्र कुमार जाति जाटव निवासी बारां तहसील व जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 30.09.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.07.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम– मण्डोला, तहसील–बारां की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2392 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म– माल–I पर गैर कृषि प्रयोजन हेतु बिना रूपान्तरण कराये ईट भट्टा लगाने के कारण सम्वत् 2071 में अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, निलामी 3000/– के अर्थदण्ड व 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय न तो वैधानिक रूप से कोई नोटिस दिया गया है और ना ही नोटिस की तामील हुई है, एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार बारां द्वारा एक तरफा निर्णय साइक्लोस्टाईल परफोर्मा में पारित किया गया है। अपीलार्थी अतिक्रमी प्रमाणित नहीं है तथा अपीलांट द्वारा जुर्माना राशि भी जमा करवा दी गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रिकोर्ड प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप[illegible] अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायाल[illegible] न तो वैधानिक रूप से खातेदार को कोई नोटिस दिया ग[illegible] की तामील हुई है, एवं भूमि के खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार बारां द्वारा निर्णय पारि[illegible] गया है। विवादित भूमि खातेदारी की भूमि है, परंतु अधीनस्थ न्याया[illegible] द्वारा अपीलांट को सु[illegible] का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:29 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/अतिक्रमी को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर सम्वत् 2068 में भी अतिक्रमण किया गया था जो मिसल नंबर 4/2012 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 12.04.2012 से अपीलांट को बेदखल किया गया था। अपीलांट ने खाते की भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण कराये ईट भट्टा लगाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि विवादित भूमि खातेदारी की भूमि है, तथा खातेदार प्रहलाद पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी मण्डोला के खाते में दर्ज है, तथा अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार की सुनवाई किये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है। उक्त भूमि पर ईट भट्टा भी संचालित नहीं होना तहसीलदार बारां द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार प्रहलाद पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी मण्डोला को विधिवत नोटिस जारी नहीं किया है जिससे खातेदार को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 58/2015 में पारित आदेश दिनांक 28.7.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है तथा शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:29 IST
Reason: SelfAttested